भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1118

जिसका उत्तर 08.02.2024 को दिया जाना है

कार पूलिंग संबंधी दिशानिर्देश

1118. श्री गजानन कीर्तिकर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास परिवहन के लिए कार पूलिंग जैसे कुशल और व्यवहार्य विकल्पों को प्रोत्साहित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी राज्य द्वारा ऐसे प्रस्ताव को कार्यान्वित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और तहसील-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वाहन पूलिंग प्रणाली को विनियमित करने के लिए पृथक दिशानिर्देश जारी करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा सड़कों पर चलने वाले वाहनों की बढ़ती संख्या के दबाव को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार का विचार कार-पूलिंग को इसके दायरे से छूट देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) (i) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 27 नवंबर, 2020 को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुपालन के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 93 के अनुसार मोटर वाहन एग्रीगेटर्स दिशानिर्देश, 2020 जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को लाइसेंस जारी करने पर विचार करने के साथ-साथ ऐसे एग्रीगेटरों द्वारा किए जा रहे व्यवसाय को विनियमित करने के लिए मार्गदर्शी रूपरेखा की व्यवस्था करते हैं।

(ii) यातायात की भीड़-भाड़ और प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से उपर्युक्त दिशा-निर्देशों की उपधारा 15 में एग्रीगेटर द्वारा गैर-परिवहन वाहन पूलिंग के लिए प्रावधान है जब तक कि राज्य सरकार द्वारा निषिद्ध न किया गया हो।

(ख) सड़क परिवहन राज्य का विषय है और इसलिए सड़कों आदि पर यातायात की भीड़-भाड़ की समस्या का समाधान करने के उपाय करने सहित सतत शहरी परिवहन प्रणाली की आयोजना और प्रबंधन के लिए संबंधित शहरों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पहल की जाती है।

(ग) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(घ) शहरी परिवहन शहरी विकास का अभिन्न अंग है और यह राज्य का विषय है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने वाहनों की बढ़ती संख्या के दबाव को कम करने और निम्नलिखित पहलों के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं:

(i) राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2006, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरों/शहरी स्थानीय निकायों की सुविधा के लिए विभिन्न मार्गदर्शी दस्तावेज और परामर्शी अधिसूचित की है।

(ii) मेट्रो रेल नीति, 2017 अगस्त 2017 में जारी की गई थी, जो मेट्रो रेल प्रणाली के व्यवस्थित नियोजन और कार्यान्वयन पर अधिक व्यापक और दीर्घकालिक तरीके से केंद्रित है। यह नीति मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए व्यापक प्रस्ताव तैयार करने हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने की इच्छुक राज्य सरकारों के लिए मार्गदर्शिका है।

(iii) 01.05.2017 को राष्ट्रीय ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) नीति जारी की गई। यह नीति सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 500-800 मीटर के जन पारगमन स्टेशनों के प्रभाव क्षेत्र के भीतर उच्च घनत्व, मिश्रित भूमि उपयोग वाले नियोजित और टिकाऊ शहरी केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज है।

(iv) वर्तमान पीएम-ईबस सेवा योजना के तहत, 3-40 लाख की आबादी में 100 से अधिक शहरों के लिए 20,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता उपलब्ध है, ताकि बस डिपो के लिए संबद्ध नागरिक और विद्युत बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा 10,000 इलेक्ट्रिक बसें लगाकर सिटी बस संचालन को बढ़ाया जा सके।

******